# छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग) 492002

## कटी–फटी अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा विक्रय हेतु पुनः अल्पकालिक निविदा दस्तावेज

| निविदा फार्म का मूल्य |
| --- |
| 2000/– रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) |

# छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग) 492002

**अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयेागी भूसा हेतु पुनः अल्पकालिक निविदा**


| क्र. | विवरण | पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक |
|---|---|---|
| 01 | निविदाकार से संबंधित जानकारी | 2 |
| 02 | उद्‌बोधन | 4 |
| 03 | निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ठ –1 | 5–7 |
| 04 | निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ठ –2 | 8 |
| 05 | अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा की मात्रा एवं दर हेतु वित्तीय बीड भाग (ख) परिशिष्ठ –3 | 9 |
| 06 | निविदाकर्त्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ठ –4 | 10–11 |
| 07 | सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ठ –5 | 12–17 |
| 08 | जिला कार्यालयों के बैंक खाते की जानकारी परिशिष्ट –6 | 18 |
| 09 | जिलेवार अमानत राशि का विवरण परिशिष्ट – 7 | 19 |


1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

**प्रबंध संचालक**

# कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर
सेक्टर 21 मुख्यालय नया रायपुर (छ.ग) 492002

## अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं भूसा

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री.....
   .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम — श्री.....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम .....
   एवं पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर .....
4. जिला का नाम .....
5. निविदा फार्म का मूल्य — रूपये 2000.00/– (वस्तु एवं सेवा कर सहित)
   (अक्षरी दो हजार रूपये मात्र)
6. निविदा फार्म क्रय/डाऊनलोड की जानकारी — आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी नं. .....
   दिनांक .....
   बैंक का नाम .....

**ऑनलाईन ई– निविदा हेतु भोड्यूल निम्नानुसार है :–**

| | | |
|---|---|---|
| Bid start date | **07-10-2018** | **12.00 PM** |
| Bid Due date | **22 -10-2018** | **05.00 PM** |
| Bid open date from | **23-10-2018** | **11.00 AM** |

**टिप्पणी**

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा दस्तावेज दिनांक 22.10.2018 को सायः 05.00 बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदकारों को यह सुझाव है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीवीटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समयमें साफ्टवेयर /कनेक्टीवीटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नहीं होने पर समय में वृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेंगी।
3. निविदा प्रपत्र वेवसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। निविदा फार्म की राशि रूपये 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र) विपणन संघ संघ के संबंधित जिलें के बैक खातें में ऑनलाईन आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है तथा राशि के अंतरण पुष्टि संबंधी दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना है, तथा उसकी पावती तकनीकी बीड में ऑनलाईन संलग्न की जावें एवं रूपये 311/– ( तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन

फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजीटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।

5. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.markfed.cg.nic.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउन लोड कर भीं भरे जा सकते है। डाउनलोड कर निविदा भरे जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की राशि 2000 रुपयें संबंधित जिलें के बैक खातें में ऑनलाईन आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ. टी के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1 से 19 तक है।

**निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी**
**के हस्ताक्षर**
**नाम एवं पदमुद्रा**

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

# उद्बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भण्डारण जिले में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। संग्रहण केन्द्रों में धान को सुरक्षित भण्डारण हेतु डनेज के रूप में प्लास्टिक बोरी में भूसा भरकर धान के स्टेक के नीचे दो लेयर में बिछाई जाती है संग्रहण केन्द्रो में धान निराकरण के पश्चात् विगत कई वर्षो से अनुपयोगी कटी फटी प्लास्टिक बोरिया धान संग्रहण केन्द्रो में रखी हुई है जिसका निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाना है इस हेतु अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा विक्रय की निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न हैः–

   (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं है।

   (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग–क) तकनीकी **बीड** हेतु।

   (III) परिशिष्ट '3' दर प्रस्तुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग–ख) वित्तीय **बीड** हेतु।

   (IV) परिशिष्ट '4' निविदा कार द्वारा किये जाने वाले इकरारनामा का प्रारूप।

   (V) परिशिष्ट '5' सत्य निष्ठा संधि का प्रारूप।

   (VI) परिशिष्ट '6' अमानत राशि का विवरण।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि ऑनलाईन ई–निविदा के साथ आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस कटी फटी अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी एवं अनुपयोगी भूसा विक्रय निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
5. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार को निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित जानकारी के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

**शुभकामनाओं सहित,**

**प्रबंध संचालक**
**छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित**
**रायपुर**

''परिशिष्ठ – 1''

# निविदा निर्देश एवं मार्ग दर्शक सूचनाएं

निविदाकार जिनके द्वारा छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला कार्यालय से संबंधित संग्रहण केन्द्रों में डनेज में उपयोग के पश्चात् बचत अनुपयोगी डनेज सामाग्री (कटी–फटी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा) संग्रहण केन्द्र में रखी हुई है जिसका ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर विक्रय हेतु पुनः अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा के नियमों एवं शर्तो को भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश एवं शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जानेवाली संविदा के भाग/अंग माने जावेगे।

1. विपणन संघ द्वारा जारी ऑनलाईन ई–निविदा में एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज के भाग क) एवं दूसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज के भाग ''ख'') है, जिसे ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करना होगा।

2. तकनीकी बीड में निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जाएगा, अतः तकनीकी बीड में निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें :–
   (I) वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   (II) आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत वर्ष 2016–17 के आयकर विवरण।
   (III) निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ठ '3' में संग्रहण केंद्रवार अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी, एवं अनुपयोगी भूसा की अनुमानित मात्रा दर्शित है। जिलेवार अमानत राशि का विवरण परिशिष्ट 6 संलग्न है।

   - **निविदा के तकनीकी दस्तावेज में इकरारनामा एवं सत्यनिष्ठा संधि जमा करना अनिवार्य नहीं है। सफल निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 100 रुपयें के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा एवं स्वयं के लैटरहेड में सत्यनिष्ठा संधि का निष्पादन संबंधित जिले में किया जावेंगा।**

     उपरोक्तानुसार राशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी या सीधे बैक खाते में ऑनलाईन जमा किया जावें एवं जिस संग्रहण केन्द्र के लिए अमानत राशि जमा की गई है उसका उल्लेख किया जावें तथा उसकी पावती निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।

3. निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय जिला विपणन अधिकारी छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. जिला ..... में निर्धारित समिति के समक्ष खोली जायेगी।
4. अनुपयोगी डनेज सामाग्री की दरें प्रति क्विं के आधार पर भरी जावें। निविदा दर अनुसार शत् प्रतिशत राशि संबंधित जिला कार्यालय में 7 दिवस के भीतर जमाा करने के उपरांत जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलेव्हरी आर्डर जारी किये जावेंगे।
5. निविदा में युक्त संगत दरें प्राप्त नही होने पर निविदा समिति द्वारा उच्चतम दर वाले निविदाकार से निगोशियेशन किया जावेगा, यदि निगोशियेशन में भी उचित दर प्राप्त नही होती तो निविदाकारों से क्रास ऑफर लेकर दरे स्वीकृत किया जा सकता है।
6. किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारित किसी स्कंध (अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी/कैप कव्हर/अनुपयोगी भूसा) के लिए दर प्रस्तुत की जा रही है, तो उस संग्रहण केन्द्र में भंडारित संपूर्ण मात्रा के लिए दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अर्थात् आधे – अधुरे अथवा कुछ मात्रा के लिए प्रस्तुत दर स्वीकार योग्य नही होगे।
7. निविदाकार द्वारा संग्रहण केन्द्रों में शेष डनेज सामाग्री के गुणवत्ता निरीक्षण स्वयं करने के पश्चात् दरें भरी जावें, सामाग्री विक्रय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
8. सफल निविदाकार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में विपणन संघ से संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करना होगा।

9. सफल निविदाकार द्वारा जिलें में एक सप्ताह के भीतर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा एवं उठाव आदेश जारी करने के दिनांक से 90 कार्यशील दिवस के भीतर आदेशित मात्रा संग्रहण केन्द्र से उठाव करना होगा।
10. सफल निविदाकार को निर्धारित 90 कार्यशील दिवस के भीतर स्कंध का उठाव किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात् विशेष परिस्थिति में प्रबंध संचालक विपणन संघ के अनुमति पश्चात् नियमानुसार 18 रू. प्रति टन प्रति माह भंडारण भाुल्क जमा कर बढाई गई अवधि में स्कंध का उठाव किया जा सकेंगा।
11. सफल निविदाकार द्वारा संग्रहण केन्द्र केन्द्र की संपूर्ण मात्रा का उठाव किया जाना अनिवार्य है। उठाव नही किये जाने की स्थिति में निविदाकार की जमा अमानत राशि एवं धरोहर राशि राजसात की जावेंगी। भोष स्कंध के उठाव हेतु विपणन संघ को अधिकार होगा कि एच 2 निविदाकार को विक्रय कर सके।
12. संग्रहण केन्द्र में भंडारित अनुपयोगी डनेज सामाग्रीयों की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। मात्रा अधिक पाए जाने पर प्रबंध संचालक, विपणन संघ की अनुमति प्राप्त होने पर उठाव किया जा सकता है।
13. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नया रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा।
14. निविदाकर्ता को प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा क्रय कर उठाव करने में समस्त प्रकार के लगने वाले व्यय एवं टैक्स स्वयं वहन करना होगा।
15. सफल निविदाकार को अमानत राशि के अतिरिक्त समतुल्य धरोहर राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में 7 दिवस में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमा अमानत राशि एवं धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
16. स्वीकृत निविदा दरें निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्श के लिए वैध रहेगी।
17. असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि निविदा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् 45 दिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
18. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेंगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में एवं विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेंगा तथा संशोधन/शुद्धि पत्र निविदा भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के पूर्व तक जारी किया जा सकता है।
19. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

''परिशिष्ठ – 2''

# छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,मुख्यालय–रायपुर

## भाग – ''क''

(तकनीकी बीड हेतु)

दिनांक.....

## अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरी,एवं अनुपयोगी भूसा विक्रय हेतु तकनीकी बीड निविदा फार्म

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निविदाकार का नाम व पूरा पता<br>(पत्र व्यवहार हेतु) | |
| 2. | निविदाकार के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता | |
| 3. | जिले का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है | |
| 4. | निविदाकार/फर्म का दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नं. | |
| 5 | वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र | |
| 6. | आयकर स्थायी लेखा संख्या | |
| 7. | सामग्री का नाम जिसके लिए दर दी जा रही है। (अनुपयोगी कटी –फटी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा) | |
| 8. | अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण | 1. आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी नंबर |
| | | 2. दिनांक |
| | | 3. बैंक का नाम |
| | | 4. राशि रूपये |
| 9. | निविदा फार्म का विवरण | आर.टी.जी. एस./एन.ई.एफ.टी नं.....<br>दिनांक.....<br>बैंक का नाम..... |
| | | राशि 2000/– रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) |
| 10. | अन्य विवरण यदि कोई हो | |

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

# भाग – ''ख''
## (वित्तीय बीड हेतु)

**अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरी, अनुपयोगी कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा क्रय हेतु दर प्रस्तुत करने**

| क्र | जिलें का नाम | अनुपयोगी कैप कव्हर | अनुपयोगी प्लास्टिक बोरी | अनुपयोगी भूसा |
|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा नग में | मात्रा नग में | मात्रा (टन में) |
| 1 | रायपुर | 0 | 3276395 | 0 |
| 2 | बलौदाबाजार | 0 | 359000 | 625 |
| 3 | धमतरी | 0 | 3195450 | 1034 |
| 4 | महासमुंद | 0 | 871850 | 1283 |
| 5 | गरियाबंद | 0 | 1119450 | 0 |
| 6 | बिलासपुर | 0 | 70000 | 292 |
| 7 | मुंगेंली | 0 | 134000 | 184 |
| 8 | जांजगीर–चांपा | 0 | 1150400 | 0 |
| 9 | रायगढ़ | 0 | 704400 | 171 |
| 10 | कोरबा | 0 | 5000 | 110 |
| 11 | दुर्ग | 0 | 6475959 | 5662 |
| 12 | राजनांदगांव | 0 | 3002910 | 6291 |
| 13 | बालोद | 0 | 8218495 | 2534 |
| 14 | कवर्धा | 0 | 604869 | 421 |
| 15 | बेमेतरा | 0 | 2030625 | 0 |
| 16 | सरगुजा | 0 | 200000 | 255 |
| 17 | सूरजपुर | 0 | 343950 | 299 |
| 18 | जशपुर | 80 | 0 | 101 |
| 19 | कांकेर | 0 | 960200 | 264 |
| 20 | दंतेवाड़ा | 0 | 12300 | 60 |
| 21 | जगदलपुर | 0 | 753900 | 1514 |

''परिशिष्ठ – 4''

# इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .....को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है, की ओर से जिला विपणन अधिकारी (पक्षकार कमांक1) तथा मेसर्स..... कि ओर से श्री/श्रीमती ..... (पक्षकार कमांक 2) जो उसके मालिक/भागीदार/संचालक/अधिकृत उत्तराधिकारी है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

पक्षकार कमांक 1 द्वारा अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरी, कैप कव्हर एवं अनुपयोगी भूसा विक्रय हेतु निविदा सूचना कमांक .....दिनांक ..... के मापदण्ड के अनुसार निविदा भरा है। जिसका क्रय मूल्य रू. ..... प्रति कि.ग्रा./प्रति क्विं है से कय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

चूंकि पक्षकार कमांक 2 द्वारा आफर किये गये मूल्य रू. ..... प्रति कि.ग्रा./प्रति क्विं को पक्षकार कमांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया।

अतः यह इकरारनामा निम्नानुसार शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है –

1. संग्रहण केन्द्रो में बचत अनुपयोगी कटी–फटी प्लास्टिक बोरिया संग्रहण केन्द्र में रखी है जिसे मेरे द्वारा इस निविदा के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
2. संग्रहण केन्द्रों में भंडारित अनुपयोगी सामग्री का विकय ''जहा है, जैसा है'' की स्थिति में होगी। जिसमें पक्ष कमांक–02 को कोई आपत्ति नही है।
3. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सामग्री के विरुद्ध दी गई कॉलम में प्रस्तावित दर स्पष्ट रुप से उल्लेखित करना होगा। काट–छाट एवं अस्पष्ट दर को अमान्य किया जावेगा।
4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., संबंधित जिले के नाम पर देय ही स्वीकार किया जावेगा।
5. निविदा हेतु निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं होने पर निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
6. अनुपयोगी सामग्रीयों का निरीक्षण स्थल पर किया जा सकता है।
7. स्वीकृत निविदा दरें दिनांक.....2018 तक वैध रहेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा।
9. यदि प्राप्त निविदा प्रस्तावों की उच्चतम दरें एक समान या बराबर होगी तो ऐसी निविदा के लिए उच्चतम निविदाकारों के समक्ष खुली बोली के आधार पर अधिकतम बोली वाले आवेदक को आबंटित की जावेगा।
10. निविदादाता को उसकी स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित सामग्रियों का आधिपत्य लेना होगा। स्क्रैप के परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग सभी स्वयं के व्यय से करना होगा।
11. स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटीत को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो विपणन संघ को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. सफल निविदादाता को स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिवस के अंदर स्वीकृत सामग्रियों की उल्लेखित अनुमानित मात्रा के अनुसार राशि का भुगतान विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय में जमा करनी होगी।
13. विक्रय पत्र जारी होने के बाद यदि निविदादाता सामग्रियां नहीं लेना चाहेगा तो अमानत एवं धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।
14. पक्ष क्रमांक–2 को विक्रय आदेश जारी करने के दिनांक से 90 कार्यशील दिवस के भीतर आदेशित मात्रा में अंकित अनुपयोगी डनेज सामाग्री का उठाव करना होगा।
15. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
16. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

यदि निविदा सूचना, निविदा निबंधनों के किसी भी नियमों शर्तो निविदाकार द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि निविदा स्वीकृति आदेश को निरस्त करे।

उपरोक्त इकरारनामा दोनो पक्षों द्वारा ऊपर दर्शाया गया दिनांक..... को में दोनों पक्षों के गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर
**क्रयकर्ता का नाम एवं पता**
(कार्यालय सील)

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता .....

हस्ताक्षर
**जिला विपणन अधिकारी**

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता .....

परिशिष्ट – "5"

## PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

### 1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

### 2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

### 3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

## 4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

## 5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

## 6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the. (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

## 7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same

shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

## 8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

## 9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

## 10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

## 11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

## 12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

## 13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on .....

**BUYER/PRINCIPAL** **BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**

**Name of the Officer**
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY**
**Destination**
**Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.**

**Witness** **Witness**

**1)** _____ **1)** _____

**2)** _____ **2)** _____

| | | | | परिशिष्ट–6 |
|---|---|---|---|---|
| जिला कार्यालय के बैंक खातें की जानकारी | | | | |
| **क्र** | **जिला कार्यालय का नाम** | **बैंक का नाम** | **खाता नंबर** | **आई.एफ.एस.सी कोड नं.** |
| 1 | रायपुर | बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर (छ.ग) | 45760200000314 | BARBOSANRAI |
| 2 | जांजगीर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 10784114104 | SBIN0000395 |
| 3 | कांकेर | स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, जगदलपुर रोड, कांकेर (छ.ग) | 11229285587 | SBIN0000401 |
| 4 | धमतरी | एक्सिस बैंक, धमतरी (छ.ग.) | 667010200001328 | UTIB000667 |
| 5 | बैमेतरा | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोहभाठा रोड बैमेतरा (छ.ग) | 32721002365 | SBIN0000296 |
| 6 | राजनांदगांव | प्ंजाब ने ानल बैंक, राजनांदगांव (छ.ग) | 0492002100021410 | PUNB0049200 |
| 7 | रायगढ | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रायगढ़ (छ.ग) | 10535703364 | SBIN0003019 |
| 8 | बिलासपुर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिलासपुर (छ.ग) | 10826084988 | SBIN0000336 |
| 9 | मुंगेली | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंगेली (छ.ग) | 32781531434 | SBIN0001144 |
| 10 | बलौदाबाजार | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बलौदाबाजार (छ.ग) | 32773029625 | SBIN0001048 |
| 11 | कोरबा | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोरबा (छ.ग) | 10427223292 | SBIN0006047 |
| 12 | जगदलपुर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जगदलपुर (छ.ग) | 10456193099 | SBIN0000392 |
| 13 | जशपुर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जशपुर (छ.ग) | 10913924422 | SBIN0000542 |
| 14 | महासमुंद | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महासमुंद (छ.ग) | 10757269309 | SBIN0000416 |
| 15 | दंतेवाडा | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,दंतेवाडा जिला बस्तर (छ.ग) | 10753199479 | SBIN0000545 |
| 16 | दुर्ग | एक्सिस बैंक, भिलाई(सीटी), दुर्ग (छ.ग) | 916010007214902 | UTIB0000214 |
| 17 | बालोद | एक्सिस बैंक, झलमला, बालोद(छ.ग) | 918020011305725 | UTIB0001729 |
| 18 | कवर्धा | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहादुर गंज वार्ड, एस.बी.आई रोड कवर्धा (छ.ग) | 11219095279 | SBIN0000406 |
| 19 | गरियाबंद | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गरियाबंद छ.ग) | 32674715084 | SBIN0004745 |
| 20 | अम्बिकापुर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, (00310) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) 497001 | 10905979888 | SBIN0000310 |
| 21 | सूरजपुर | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सूरजपुर (छ.ग) | 33323233694 | SBIN0000576 |
| **नोट :–** जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की राशि मुख्यालय के एक्सिस बैंक खाता क्र. 2246 में जमा करें। | | | | |

परिशिष्ट–7

## जिलेंवार अमानत राशि का विवरण

| क्र. | जिला का नाम | प्लास्टिक बोरी | भूसा | कैप कव्हर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रायपुर | 50000 | 130000 | |
| 2 | महासमुद | 14000 | 25000 | |
| 3 | धमतरी | 50000 | 20000 | |
| 4 | दुर्ग | 100000 | 115000 | |
| 5 | राजनांदगांव | 50000 | 125000 | |
| 6 | कवर्धा | 10000 | 10000 | |
| 7 | बिलासपुर | 5000 | 6000 | |
| 8 | कोरबा | 1000 | 5000 | |
| 9 | जांजगीर | 20000 | 60000 | |
| 10 | रायगढ़ | 10000 | 5000 | |
| 11 | जशपुर | 0 | 5000 | 5000 |
| 12 | अम्बिकापुर | 5000 | 6000 | |
| 13 | कांकेर | 15000 | 6000 | |
| 14 | जगदलपुर | 15000 | 31000 | |
| 15 | दंतेवाड़ा | 5000 | 5000 | |
| 16 | मुंगेली | 5000 | 5000 | |
| 17 | बलौदाबाजार | 5000 | 13000 | |
| 18 | सूरजपुर | 5000 | 6000 | |
| 19 | बालोद | 125000 | 51000 | |
| 20 | गरियाबंद | 20000 | 37000 | |
| 21 | बेमेतरा | 35000 | 100000 | |
| 22 | बलरामपुर | 0 | 0 | |